

दून वैली मेल

संपादकीय

संविधान की जीत तो सुनिश्चित है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोते कल फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मन की बात सुनाने के लिए देशवासियों के सामने आए। अपने मन की बात के इस 111वें एपिसोड में उन्होंने तमाम बड़ी-बड़ी बातें और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपदेश दिया लेकिन इस बार मन की बात में उन्होंने लोक सभा चुनाव 2024 के बारे में एक बड़ी सच्चाई को स्वीकार जरूर किया। उन्होंने इस चुनाव के परिणामों को संविधान की जीत बताया। भले ही उन्होंने यह बात भाजपा और एनडीए को सत्ता में आने के बारे में कही गई हो लेकिन 2024 का चुनाव जिस मुद्दे पर लड़ा गया वह सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का ही मुद्दा था। अबकी बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में जाने वाली भाजपा के नेता जहां अपनी चुनावी सभा में खुल्लम-खुल्ला इस बात का ऐलान करने पर उत्तर आए थे कि उन्हें 400 पार इसलिए चाहिए जिससे वह संविधान को बदल सके। वहाँ विपक्ष के नेता भी इस चुनाव में संविधान की किटाब लेकर अपनी जनसभाओं में दिखाई दिए थे उनका साफ कहना था कि यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला चुनाव है। चुनावी नीतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मीडिया से रूबरू हुए तब भी वह संविधान की प्रति उनके हाथ में थी और उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। भले ही भाजपा सबसे बड़े दल और एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उनके सामने खड़ी थी और कांग्रेस तथा उसका इंडिया गठबंधन दूसरे पायदान पर था लेकिन फिर भी उनका कहना था कि हम अपने मिशन में 100 प्रतिशत सफल रहे हैं हमारे देश की जनता ने संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचा लिया है। आज भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे हो अब स्थितियाँ 2014 और 2019 वाली कर्तव्य भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री लाख कोशिश कर ले यह दिखाने की कि बादशाहत उन्होंने की है और पहले जैसी ही है मगर इस सच्चाई को वह भी जान चुके हैं कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। सही मायने में सत्ता पक्ष द्वारा किए जाने वाला कोई भी काम या व्यवहार अगर पहले जैसा होता है तो इससे सरकार की छवि और भी खराब ही होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अगर यह दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है अब सरकार का कोई भी काम संवैधानिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं के अनुकूल ही होना चाहिए। बीते 10 सालों में नेता विपक्ष तथा डिप्टी स्पीकर के पद को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से खाली रखा गया उन पदों की बहाली नितांत आवश्यक है नेता विपक्ष का पद तो बहाल हो चुका है क्योंकि इसे सरकार रोक पाने में अक्षम थी लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद पर अभी संशय बरकरार है ऐसा नहीं है की बात सिर्फ डिप्टी स्पीकर पर तक ही सीमित है ऐसी तमाम अन्य बातें हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी सत्ताधारी दल द्वारा पहली बार संवैधानिक व्यवस्थाओं को नकारने का काम किया जा रहा है लेकिन यह भी सत्य है की अंतिम जीते संविधान और लोकतंत्र की ही होती है और शासक चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न रहा हो उसे इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले देश के लिए उतना ही बेहतर होगा।

अम्बेडकर पार्क को कब्जाने का आरोप, जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन

संवाददाता

देहरादून। अम्बेडकर पार्क को कब्जाने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय लोगों ने पार्षद के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज यहां आमवाला तरला के लोग स्थानीय पार्षद श्रीमती नीतू के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए जहां पर उन्होंने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।


ज्ञापन में उन्होंने कहा कि क्रष्णगढ़ की कुछ भूमि पूर्व में सहस्रधारा चूना पत्थर उद्योग सहकारी समिति के सभापति के नाम थी एवं चूना पत्थर उद्योग की समाप्ति के उपरान्त उक्त भूमि पर भूमाफियाओं की नजरों में आने से प्रतिदिन भूमि कब्जा को लेकर झगड़े होने लगे। इसी बीच चूना पत्थर उद्योग के सभापति द्वारा इस भूमि को अखिल भारतीय अम्बेडकर जनकल्पण महासभा को साथ लेकर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना कर अम्बेडकर पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा करने के लिए उक्त भूमि को निबन्धन सहाकरी समितियाँ के नाम पर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।



दुनिया में सच्ची खुशी की तलाश

संत राजिन्द्र सिंह जी महाराज

हम सब खुशी और शांति की तलाश में हैं। इस संसार में कोई भी दुःखी रहना नहीं चाहता। लोग कई तरीकों से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे धन-दैलत और संपत्ति और कुछ इसे नाम और शौहरत में ढूँढते हैं। कुछ लोग दुनियावी रिश्तों में इसे ढूँढते हैं। कई लोग मनोरंजन के पीछे, जैसे कि फिल्मों को देखना, संगीत सुनना, सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लेना और टी.वी. देखने जैसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कई लोग खेलों में भाग लेते हैं या उन्हें देखने का आनंद लेते हैं। कई लोग नशीले पदार्थों ड्रग्स और शराब में भी इस सुख को ढूँढते हैं।



गुरुओं ने हमें यह बताया है कि सच्ची खुशी का अस्तित्व है लेकिन यह बाहरी दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। इसे केवल अपने अंतर में ही पाया जा सकता है। यदि हम इसे बाहरी दुनिया में खोजेंगे तो हमें लगातार निराशा ही प्राप्त होगी। यदि हम इस दुनिया में पूर्णता को ढूँढेंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि हर हीरे में दोष होता है और हर सुंदरता में दग्ध होता है। यही कारण है कि लोगों की एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद उनमें दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वे एक चीज खरीदने या पाने के बाद दूसरी चीज लेना चाहते हैं।

कई देशों में लोग एक विवाह के बाद दूसरा, तीसरा और शायद इससे भी ज्यादा विवाह करते हैं। हम एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करने लग जाते हैं। यह सोचकर कि शायद हम जिस संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं, वह हमें मिल जाएगी। जब तक हम इन बाहरी भौतिक आवर्कणों में स्थिर रहेंगे, तब तक हम इस निराशा के चक्रवृह में फँसे रहेंगे। हम भूल चुके हैं कि असली खजाने हमारे अंतर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतर में ही है।

सदा-सदा की खुशी पाने का केवल एक ही स्रोत है, जिसे कभी जल, वायु, अग्नि या पृथ्वी नहीं कर सकते। हमारे इस जीवन में या मृत्यु के समय भी इसे हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। सच्ची खुशी केवल परमात्मा को पाने में ही है। पूर्व देशों के संतों-महारुपों ने परमात्मा को 'सत-चित्त-आनंद' कहा है।

इन शब्दों का मतलब है कि सच्चा, चेतन और आनंदमयी हममें से कई परमात्मा को अनंत सत्य के साथ जोड़ते हैं। हम उस दिव्य रचनात्मका को महाचेतन, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के रूप में भी जानते हैं। पश्चिमी देशों के संतों-महारुपों ने परमात्मा को 'सत-चित्त-आनंद' कहा है।

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने गांजे के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने चैकिंग के दौरान दून यूनिवर्सिटी रोड पर एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घुसते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया।

पुलिस को देख वह भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोड़ी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 512 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम उमेश पुत्र बालम नाथ निवासी सपेरा बस्ती रिस्पन्डर पुल बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

